

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 58/2024

उमवान

1. मिटू लाल पुत्र मोहन माली नि० हमीरगढ़ तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र गंगाराम माली नि० हमीरगढ़ तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
2. कालू पुत्र जमना लाल माली नि० हमीरगढ़ तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
3. प्रभू पुत्र मांगी लाल माली नि० हमीरगढ़ तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
4. लादू पुत्र छगना माली नि० हमीरगढ़ तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
5. नारायण पुत्र रूपा माली नि० हमीरगढ़ तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
6. हेमराज पुत्र नन्दा माली नि० हमीरगढ़ तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
7. कैलाश पुत्र लादू माली नि० हमीरगढ़ तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
8. कंकू पत्नी देबी लाल कुम्हार(प्रजापत) नि० चारभूजा मन्दिर प्रजापत मंगरोप रोड हमीरगढ़ तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
9. जमना पुत्र लक्ष्मण माली नि० हमीरगढ़ तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
10. सायरी पुत्री रूपा रेगर नि० हमीरगढ़ तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
11. चांदी पुत्री रूपा रेगर नि० हमीरगढ़ तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
12. नारायण पुत्र रूपा रेगर नि० हमीरगढ़ तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा(राज.)
13. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका हमीरगढ़, भीलवाड़ा(राज.)
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा।


—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
निर्णय दिनांक 21.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 22.04.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ़ प.ह. हमीरगढ़ भू.अ.नि. हमीरगढ़ तह० हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 1135 की आ.न. 2269/3, 2270/3, 2664, 2665, 2666/1, 2860/2, 2870, 2872 कुल किता 08 रकबा 1.1508 है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06.05.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 व 13 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 9,10,11,12 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 9,10,11,12 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए ओदशिका पर अंकित किया गया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी क्रम 9,10,11,12 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

--:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम हमीरगढ प.ह. हमीरगढ भू.अ.नि. हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 1135 की आ.न. 2269/3, 2270/3, 2664, 2665, 2666/1, 2860/2, 2870, 2872 कुल किता 08 रकबा 1.1508 है0, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 500/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 21.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दपतर रहे।

(निहा/जीपा)  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ